# केस स्टडी-02/2026

**SPAD**

**घटनाक्रम:** दिनांक 17.01.2026 को, कोंकण रेलवे में ट्रैन नं. 12617 DN (मंगला एक्सप्रेस), लोको नं 37169/WAP7/ HWH, लोड: 22 बोगी (LHB), BPC: 100%, लोको पायलट के कथनानुसार, अरावली रोड स्टेशन (AVRD) का अप डिस्टेंट सिग्नल को दो पीला एस्पेक्ट (109 Kmph) में तथा इनर डिस्टेंट सिग्नल को एक पीला एस्पेक्ट (109 Kmph) में पार करने के बाद, क्रू ने मशीन रूम से धुआं देखा। लोको पायलट ने तुरंत VCB को ओपन तथा पैंटो को लोवर किया। जब ट्रेन होम सिग्नल के पास 'रेड एस्पेक्ट' पर पहुंची, तो लोको पायलट ने A9 से इमरजेंसी ब्रेक लगाया और सहायक लोको पायलट ने RS वाल्व लगाया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, परिणामस्वरूप ट्रेन 09.08:38 बजे होम सिग्नल (S-46), जो LHS स्थित था, को **'ऑन'** स्थिति में 13 Kmph की गति से पार कर, 05 मीटर आगे जाकर रुकी।

## उपरोक्त घटना से सबक:

- सभी लोको पायलट व सहायक लोको पायलट को निर्देश दिये जाते हैं कि दो पीला (YY) व एक पीला (Y) सिग्नल पर निर्धारित की गई गति का कड़ाई से पालन करें, यदि ट्रेन की गति, तय गति से ज़्यादा होने पर सहायक लोको पायलट को तुरंत RS वाल्व खोल देना चाहिए।
- चलती गाड़ी में कभी भी दोष निवारण न करें, यदि दोष निवारण करना अवशयक हो तो गाड़ी को सर्वप्रथम सुरक्षित स्थान पर या सेक्शन क्लियर कर, खड़ी करें, तत्पश्चात दोष निवारण करें।
- गाड़ी संचलन के दौरान अन्य किसी कार्य में व्यस्त न रहें एवं पूरा ध्यान सिग्नल के संकेतो पर केंद्रित तथा गाड़ी संचालन पर रखें।
- सहायक लोको पायलट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोको पायलट सिग्नल के संकेतानुसार आवश्यक रूप से गाड़ी की गति को नियंत्रित कर रहा है या नहीं।
- सिग्नल एक पीला दिखने पर ALP खड़े होकर RS वाल्व पर हाथ रखें व आवश्यकता पड़ने पर समय रहते RS वाल्व खोल दें।

लोको पायलटों द्वारा सिग्नल के दो पीला (YY) और एक पीला (Y) संकेत के लिए अधिकतम गति सीमाएं।

| SN | Types of Stock | Max. Speed of 2 Yellow (YY) | Max. Speed of 1 Yellow (Y) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vande Bharat / Vande Metro | 110 Kmph | 90 Kmph |
| 2 | Coaching Stock including MEMU/DEMU | 100 Kmph | 60 Kmph |
| 3 | Freight Stock | 55 Kmph | 40 Kmph |
| 4 | Light Engine/Tower Wagon (8-Wheeler) | 90 Kmph | 60 Kmph |
| 5 | EMU | 90 Kmph | 60 Kmph |

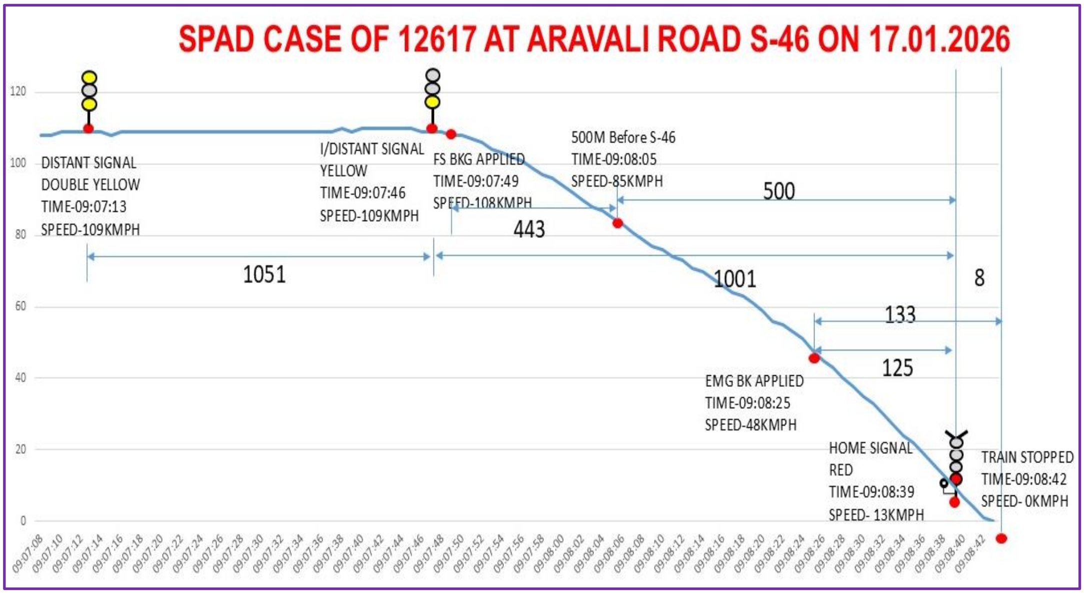


सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(गौरव कु. श्रीवास्तव)
वरि.मं. व.इंजि.(परि.),नागपुर

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।